राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 557/2025

मनोज कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2/3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित)–सह–अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
5. अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.02.2025
आदेश की दिनांक : 27.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री वी एस भावला, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानातरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से श्री कल्याण चिकित्सालय सीकर में मंजू ख्यालिया नर्सिंग अधिकारी के स्थान पर करीब 200 किमी दूर किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी एवं मंजू ख्यालिया ने आलोच्य आदेश पारित होने के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग को पारिवारिक परिस्थितियों को हवाला देते हुए एक संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया उनको परस्पर एक–दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित किया गया, जिसे रद्द किये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी का आगे अभिकथन है कि अपीलार्थी के वृद्ध पिता विभिन्न

बीमारियों से ग्रसित है तथा डॉक्टर ने पिताजी को घुमने फिरने के लिए मना किया हुआ है और उनका ईलाज जयपुर में चल रहा है (अनुलग्नक–3) तथा उनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है।

4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त कर अपीलार्थी को नर्सिंग अधिकारी के पद पर जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य